कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17-अरेरा हिल्स, भोपाल

// अपील //

लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण सोपान है। निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य के प्रत्येक मतदाता का मत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के लिए चार चरणों में मतदान होगा । **चतुर्थ चरण में दिनांक 19 मई 2019** को देवास, उज्जैन, मन्दसौर, रतलाम, धार, इन्दौर, खरगोन एवं खण्डवा लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इन **8** लोकसभा क्षेत्रों में सम्मिलित **16** जिलों के **18,411** मतदान केन्द्रों पर कुल **1,49,02,688** मतदाता होंगे । इन निर्वाचनों में सहभागिता के लिए प्रत्येक मतदाता से स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील करता हूँ।

निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के साथ-साथ सुगम और समावेशी भी हो, इस हेतु प्रदेश में इस बार मतदान में मुख्य रूप से दिव्यांग, बुजुर्ग, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की हैं। मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक सुविधाओं जैसे रैम्प, छाया, पीने के पानी, शौचालय, छोटे बच्चों के झूलाघर, सहयोग हेतु स्वयं सेवी आदि की व्यवस्थाऐं की गई हैं। निर्वाचन में मतदान का समय प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक होगा। मतदाताओं को मतदान के दौरान अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे वोटर आई.डी.कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक इत्यादि **12** दस्तावेजों में से एक दस्तावेज ले जाना अनिवार्य होगा । चतुर्थ चरण के मतदान के दौरान लगभग **81,000** मतदान कर्मियों को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु केन्द्रीय सुरक्षा बल की कुल **83** एवं राज्य सशस्त्र बल की **49** कम्पनियाँ सहित जिला बल, होमगार्ड एवं विशेष पुलिस अधिकारी के कुल **56,092** पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया है। इन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल **3,636** क्रिटीकल मतदान चिन्हांकित किए गए है। निर्वाचन के दौरान कुल **3,896** से अधिक मतदान केन्द्रों पर वेबकॉस्टिंग / CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी की जावेगी । ईव्हीएम मशीन के परिवहन की निगरानी हेतु प्रत्येक सेक्टर अधिकारी एवं मतदान दलों के वाहन पर जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम डिवाईस लगाई गई है। मतदाताओं को अपने वोटर होने संबंधी जानकारी के सत्यापन एवं अपने मतदान केन्द्र की जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1950 एवं वोटर हेल्प लाईन मोबाईल एप की सुविधा दी गई है।

अतः सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि मध्यप्रदेश लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदान केन्द्र पर पहुँचकर शत-प्रतिशत मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभायें ।

(व्ही. एल. कान्ता राव)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश